झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या–वन भूमि–10/2020– 2442 व०प०, राँची, दिनांक– 25/08/2021

प्रेषक,

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, बंगला नं0–A-2,
श्यामली कॉलोनी, राँची–834002

विषय :– बरकट्ठा विद्युत उपकेन्द्र से चलकुशा उपकेन्द्र तक प्रस्तावित 33 के0भी0 ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल–20.555 हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–527 दिनांक–17.07.2020 एवं पत्रांक–842 दिनांक–20.07.2021 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (सभी अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :–

(i) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि के NPV की राशि का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

(iii) प्रस्तावित वनभूमि के दोगुणे के विरूद्ध चिन्हित मौजा सकरेज 42 हे0 अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

(iv) ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण से उद्भूत वन्यप्राणियों के habitat fragmentation तथा वन्यप्राणी संरक्षण के दृष्टिकोण से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के परिप्रेक्ष्य में Project Cost पर Wildlife Institute of India द्वारा प्रकाशित "Eco-friendly measures to mitigate impact of linear infrastructures on wildlife" (2016) में निहित मार्गदर्शन, इस विषय पर उपलब्ध अन्य Authentic Literatuire तथा मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निदेशों के आलोक में Wildlife Management Plan तैयार कर इसे समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित होगा।

(v) ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि Bottom Conductor (Sag के साथ) का Ground Clearance कम से कम 25 फीट हो ताकि वन्यप्राणियों, विशेषकर हाथियों के आवागमन के समय कोई दुर्घटना न हो।

(vi) वन्यप्राणियों, विशेषकर हाथियों के संभावित Electrocution से बचाव के लिए ABC Cable (Insulated Aerial Bundled Cable) का प्रयोग किया जाना अपेक्षित होगा।

Wildlife Institute of India द्वारा प्रकाशित "Eco-friendly measures to mitigate impact

कृ०पृ०उ०

Phone/Fax- 0651-2490133, Email-Id:- forestjhr@gmail.com

of linear infrastructures on wildlife" (2016) में निहित मार्गदर्शन, इस विषय पर उपलब्ध अन्य Authentic Literatuire तथा मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निदेशों के आलोक में Wildlife Management Plan का निर्माण किया जायेगा।

(vii) प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन से मृदा क्षरण के कुप्रभाव को रोकने के उद्देश्य से मृदा संरक्षण की योजना का कार्यान्वयन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित करना होगा।

(viii) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव में अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

25/8/2021

(सुनील कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–वन भूमि–10/2020– 2442 व०प०, राँची, दिनांक– 25/08/2021

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/2021

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–वन भूमि–10/2020– 2442 व०प०, राँची, दिनांक–25/08/2021

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/2021

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–वन भूमि–10/2020– 2442, व०प०, राँची, दिनांक–25/08/2021

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/ विद्युत कार्यपालक अभियंता (परियोजना), विद्युत आपूर्त्ति अंचल, हजारीबाग, झारखण्ड–825301 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/2021

विशेष कार्य पदाधिकारी

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 20.555 ha of Forest Land for Construction of 33 K.V Transmission line from BARKATHA to CHALKUSA under Hazaribagh West Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 20.555 ha of Forest land with conditions as stated in the forwarding letter no-2442-- dated-25/08/2021-.

25/8/2021

Signature:

Name & Designation: Sunil Kumar
(O.S.D)
Forest, Environment & Climate
Change Department,
Jharkhand Ranchi.

विशेष कार्य पदाधिकारी
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची

(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi